

समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 03/451/रा0.

प्रेषक,

रमण कुमार,
भा0प्र0से0,
समाहर्ता, बक्सर

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बक्सर, दिनांक 24/07/2014

विषय : बिहार विधान सभा के लिए डॉ० दाउद अली, सा0वि0स0 से शून्यकाल की सूचना संख्या- 16/14-1739 का उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक- 6/वि0स0शु0का0स0- 16/14-1739-824(6)/रा0 दिनांक 23.07.2014.

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में डॉ० दाउद अली, सा0वि0स0 से शून्यकाल की सूचना संख्या- 16/14-1739 का उत्तर सामग्री निम्न प्रकार से भेजी जा रही है :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
(क)	बक्सर जिलान्तर्गत ग्राम-मंगोलपुर, पो0- करहंसी, थाना-इटाढ़ी के खाता संख्या-268, खेसरा-807, रकबा 60 डी० कब्रिस्तान की जमीन पर 2010 से अतिक्रमण करने वाले दबंगों द्वारा 10.06.2014 को मूर्ति स्थापित कर शांति भंग किया है। शीघ्र कब्रिस्तान के भूमि से मूर्ति हटाकर सदनभावना कायम किया जाय।	उत्तर स्वीकारात्मक है। इस मामले की जांच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व तथा थानाध्यक्ष से करायी गयी है। जांचोपरान्त यह पाया गया कि तकरारी भूमि हाल खतियान में पुरानी परती अनावाद सर्व साधारण दर्ज है तथा दखल खाना कॉलम श्मशान, कब्रिस्तान दर्ज है। स्थल जांच के उपरान्त उक्त जमीन के पश्चिम हिस्से में हनुमान जी की छोटी सी एक मूर्ति की स्थापना की गयी है। जमीन के दक्षिण पूर्वी भाग में कब्रिस्तान है। बीच से इसी भूमि पर ईट सोलिंग पथ बनाये गये हैं। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को स्थिति पर नजर रखने तथा अपेक्षित कार्रवाई का निदेश दिया गया है। ईद के बाद मूर्ति को हटा ली जायेगी। स्थानीय लोगों से इस सन्दर्भ में सौहार्दपूर्ण बार्ता हुई है।

कृपया पावती स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन,

24.7.14
समाहर्ता, बक्सर